अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय, क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, कोशी प्रमण्डल, सहरसा

ऑगनबाड़ी अपील वाद संख्या 15–84 / 2012

सुधा देवी एवं अन्य – अपीलार्थीगण

वनाम

राज्य – रेस्पोण्डेन्ट

–: आदेश :–

प्रस्तुत ऑगनबाड़ी अपीलवाद अपीलार्थीगण द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा के ज्ञापांक 481 दिनांक 28.04.12 द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के न्यायालय में ऑगनबाड़ी अपीलवाद दायर किया गया जो स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है ।

संक्षेप में मामला यह है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पुरैनी द्वारा दिनांक 17.04.12 के 12.25 बजे अपराहन् में पुरैनी परियोजना अन्तर्गत पंचायत औराय, ऑगनबाड़ी केन्द्र चायटोला, केन्द्र संख्या– 23 का निरीक्षण किया गया। जॉच के क्रम में उक्त ऑगनबाड़ी केन्द्र संचालन में निम्नलिखित अनियमितताएँ / त्रुटियॉ पाई गई :–

निरीक्षण के समय केन्द्र बन्द पाया गया । सेविका/ सहायिका अनुपस्थित थी । केन्द्र पर एक भी बच्चा उपस्थित नहीं था । केन्द्र की पंजी उपलब्ध नहीं कराया गया ।

निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा सेविका से पोषाहार राशि की वसूली के साथ सेविका/सहायिका के मानदेय कटौती की अनुशंसा की गई ।

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पुरैनी के पत्रांक 121 दिनांक 21.04.12 द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा को समर्पित जॉच प्रतिवेदन के आलोक में उक्त ऑगनबाड़ी केन्द्र संचालन में बरती गयी अनियमितता/त्रुटियॉ पाये जाने के कारण जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के

पत्रांक 474 दिनांक 25.04.12 द्वारा आरोप पर ऑगनबाड़ी सेविका /सहायिका को स्पष्टीकरण समर्पित करने एवं निर्धारित सुनवाई की तिथि 28.04.12 के 10.00 बजे पूर्वाहन् में उपस्थित होने का नोटिश निर्गत किया गया ।

दिनांक 28.04.12 को निम्न न्यायालय में सुनवाई की गई । सुनवाई की तिथि को ही सेविका द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित की गई । अपीलार्थी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए सात अन्य केन्द्रों के मामलों के साथ अपीलार्थी के विरूद्ध चयनमुक्ति का आदेश पारित किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते हैं कि दिनांक 17.04.12 को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पुरैनी द्वारा उक्त केन्द्र का निरीक्षण किया गया परन्तु निरीक्षण के समय ऑगनबाड़ी केन्द्र संख्या– 23 के केन्द्र पर विद्यालय की छत ढलाई हेतु मसाला बनाने का काम किया जा रहा था । केन्द्र पर ढलाई का काम होने के कारण बच्चों के सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से ही स्कूल के प्रधानाध्यापक, वार्ड सदस्य एवं मुखिया के सलाह /आदेश पर मात्र निरीक्षण के दिन केन्द्र का संचालन पूर्व के स्थल पर संचालित की गई । उक्त ऑगनबाड़ी केन्द्र के निरीक्षण के समय लाभुकों द्वारा केन्द्र स्थल पर ढलााई का काम चलने के कारण पूर्व के स्थल पर केन्द्र संचालित होने की सूचना निरीक्षी पदाधिकारी को दी गई थी परन्तु केन्द्र संचालन स्थान की सूचना लाभुकों से प्राप्त होने पर भी निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा केन्द्र संचालन की स्थिति का निरीक्षण न कर केन्द्र बन्द होने की सूचना दी गई जो गलत है ।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता बहस के क्रम में आगे कथन करते हैं कि मुखिया एवं सरपंच द्वारा भी निरीक्षण के दिन केन्द्र संचालित होने संबंधी प्रमाण पत्र भी निर्गत किया गया है। विद्वान अधिवक्ता आगे कथन करते हैं कि उक्त ऑगनबाड़ी केन्द्र के 40 लाभुकों द्वारा निरीक्षण के दिन केन्द्र संचालन की सूचना जिला पदाधिकारी महोदय, मधेपुरा को संयुक्त आवेदन द्वारा दी गई है ।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता बहस के क्रम में आगे कथन करते हैं कि प्रभारी पदाधिकारी, विधि मधेपुरा के डी0बी0नं0 808 दिनांक 27.12.12 के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी अपने पत्रांक 25–2 दिनांक 12.01.2013 के द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में निरीक्षण के दिन अपीलार्थी द्वारा केन्द्र संचालन करने की पुष्टि की गई है। जॉच प्रतिवेदन में कहा गया है कि ऑगनबाड़ी केन्द्र स्थल पर स्कूल की छत की ढालाई का काम हो रहा था जिसके कारण पूर्व में स्थित ऑगनबाड़ी केन्द्र पर ऑगनबाड़ी केन्द्र संचालन का कार्य सेविका एवं सहायिका द्वारा किया गया था। उन्होंने अनुशंसा की है कि सेविका / सहायिका को कड़ी चेतावनी के साथ केन्द्र संचालन का एक मौका दिया जा सकता है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता आगे कथन करते हैं कि दिनांक 17.04.12 को ही जिला कल्याण पदाधिकारी एवं प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से उक्त ऑगनबाड़ी केन्द्र का निरीक्षण की गई है वे उक्त तिथि को केन्द्र संचालित पाया गया है। अस्तु उपलब्ध साक्ष्य/जॉच प्रतिवेदन से अपीलार्थी पर लगाए आरोप प्रमाणित नहीं होता है तथा आरोप बेबुनियाद है। अतएव अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं कि निम्न न्यायालय का आदेश को खारिज

कर अपीलार्थीगण को पुनः बहाल करने का आदेश पारित किया जाय।

अपीलवाद के बहस के क्रम में सरकारी अधिवक्ता कथन करते हैं कि निरीक्षण के समय केन्द्र बन्द पाया गया है । अपीलार्थीगण द्वारा केन्द्र अन्य जगह संचालन होना बताया जा रहा है परन्तु इस संबंध में अपीलार्थीगण द्वारा वरीय पदाधिकारी को कोई सूचना नहीं दी गई थी जो विभागीय नियम के विरूद्ध है। अस्तु निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेख में रक्षित कागजात का सुक्ष्म अवलोकन किया। उपर्युक्त विवेचनाओं से यह प्रतीत होता है कि निम्नन्यायालय का आदेश विधि सम्मत नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिस्थितिजन्य स्थिति में केन्द्र का संचालन पूर्व स्थल पर किया गया गया है। ऐसी स्थिति में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि उनके जॉच प्रतिवेदन पत्रांक 25–2 दिनांक 12.01.2013 में उल्लेखित तथ्यों एवं नैसर्गिक न्याय सिद्धान्तों को मद्दे नजर रखते हुए अपीलवाद को स्वीकृत किया जाता है तथा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि वे अपने जॉच प्रतिवेदन के पत्रांक 25–2 दिनांक 12.01.2013 की अनुशंसा के आलोक में अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे । इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ,

04/3/14

क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी,
कोशी प्रमण्डल,
सहरसा।

04/3/14

क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी,
कोशी प्रमण्डल,
सहरसा।